न्यायालय

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 116/2018

1. सूक्ष्म बिश्नोई पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 8 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 8 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती रामकला पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 8 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत खातेदारी अधिकारो की घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषीपाल जोशी अधिवक्ता	वादी
2. श्री विजयपाल भाटी अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. पैरोकाराज	प्रतिवादी संख्या 3

दिनांक :– 19.07.2018

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 8 एल.एन.पी. पटवार हल्का 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 12/10 के मुरब्बा नम्बर 35, 36 की कुल 10.730 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 5.365 हैक्टर कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (राजेन्द्र कुमार पुत्र सुरजाराम) के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है एवं चक 15 बी.एन.डब्लयू. पटवार हल्का दुलरासर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 19/57 के मुरब्बा नम्बर 47, 53, 54 की कुल 12.650 हैक्टर नहरी मय खाला मय गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि में से 3.162 हैक्टर कृषि भूमि वादी के पिताजी (राजेन्द्र कुमार पुत्र सुरजाराम) के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है तथा चक 16 बी.एन.डब्लयू. पटवार हल्का दुलरासर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 114/83 के मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 2.024 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि में से 0.506 हैक्टर कृषि भूमि वादी के पिताजी (राजेन्द्र कुमार पुत्र सुरजाराम) के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। जमाबन्दी की प्रतियां संलग्न वाद पत्र है।

वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त मद में वर्णित कृषि भूमि वादी के दादाजी सुरजाराम पुत्र हरीराम से प्राप्त हुई है। वादी के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 को अपने नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि वादी के दादाजी से प्राप्त हुई होने के कारण विरासतन जायदाद है। वादी का इस भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 के मात्र दो वारिस श्रीमती रामकला (धर्मपत्नी/प्रतिवादी संख्या 2) व सूक्षम (पुत्र/वादी) है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादी के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 8 एल.एन.पी. पटवार हल्का 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 12/10 के मुरब्बा नम्बर की कुल 10.730 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से (राजेन्द्र कुमार पुत्र सुरजाराम) के 1/2 हिस्सा यानि 5.365 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 3.088 हैक्टर कृषि भूमि वादी को घरेलू बंटवारा अनुसार दी हुई है शेष कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है।

उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, वादी को उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकियां देता रहता है ।

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृशि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 15.07.2018 को वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का पारस्परिक सहमति से बंटवारा करके राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है । यही बिनाय मुखास्मत है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी के माताजी होने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादी के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 8 एल.एन.पी. पटवार हल्का 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 12/10 के मुरब्बा नम्बर 35, 36 की कुल 10.730 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से (राजेन्द्र कुमार पुत्र सुरजाराम) के 1/2 हिस्सा यानि 5.365 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 3.088 हैक्टर कृषि भूमि वादी (सूक्ष्म बिश्नोई पुत्र राजेन्द्र कुमार) की घोषित की जावे ।

(ख) उक्त विभाजन के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होने के कारण दिनांक 19.07.2018 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये। वादी की पहचान श्री ऋषीपाल जोषी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री विजयपाल भाटी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मे कथन किया गया कि उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार के नाम दर्ज कृषि भूमि का निम्न प्रकार बंटवारा किया है :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
सूक्ष्म बिश्नोई पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 8 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)	चक 8 एल.एन.पी.पटवार हल्का 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 12/10 के मुरब्बा नम्बर 35, 36 की कुल 10.730 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से (राजेन्द्र कुमार पुत्र सुरजाराम) के 1/2 हिस्सा यानि 5.365 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 3.341 हैक्टर कृषि भूमि।
श्रीमती रामकला पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 8 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 8 एल.एन.पी. पटवार हल्का 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 12/10 के मुरब्बा नम्बर 35, 36 की कुल 10.730 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से (राजेन्द्र कुमार पुत्र सुरजाराम) के 1/2 हिस्सा यानि 5.365 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.024 हैक्टर कृषि भूमि
राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 8 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।	चक 15 बी.एन.डब्लयू. पटवार हल्का दुलरासर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 19/57 के मुरब्बा नम्बर 47, 53, 54 की कुल 12.650 हैक्टर नहरी मय खाला मय गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि में से (राजेन्द्र कुमार पुत्र सुरजाराम) के नाम दर्ज 3.162 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक एवं चक 16 बी.एन.डब्लयू. पटवार हल्का दुलरासर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 114/83 के मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 2.024 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि में से (राजेन्द्र कुमार पुत्र सुरजाराम) के नाम दर्ज 0.506 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक

उक्त राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 8 एल.एन.पी. पटवार हल्का 6 एल.एन.पी., तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 12/10 के मुरब्बा नम्बर 35, 36 की कुल 10.730 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से (राजेन्द्र कुमार पुत्र सुरजाराम) के 1/2 हिस्सा यानि 5.365 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 3.341 हैक्टर कृषि भूमि वादी (सूक्ष्म बिश्नोई पुत्र राजेन्द्र कुमार) की तथा 2.024 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 (श्रीमती रामकला पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार) की घोषित कर उक्त अनुसार डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए आर.आर.डी. 2008 पेज 481 की नजीर पेश कर कथन किया कि वादी संख्या 2 अपनें पति के जीवित रहते हुए पुत्रों द्वारा पैतृक सम्पत्ति के बराबर विभाजन की मांग करनें पर उसे भी पुत्रों के बराबर हिस्से की मांग की है, जो प्रिसिपल आफ हिन्दू ला के पैरा 315 के विवेचन एवम् गुरूपत खण्डापा बनाम हीराबाई में प्रतिपादित सिद्वान्तों के आधार पर अपना हिस्सा प्राप्त करनें की अधिकारिणी है तथा वह अपनें परिवार की पैतृक सम्पत्ति में पति व पुत्रों के बराबर के हिस्से की घोषणा करवानें की अधिकारिणी है। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 8 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम चक 8 एल.एन.पी. पटवार हल्का 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 12/10 के मुरब्बा नम्बर 35, 36 की कुल 10.730 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 5.365 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है वह जद्दी जायदाद है जिसमे वादी द्वारा अपनें हिस्से की भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

अतः उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत चक 8 एल.एन.पी. पटवार हल्का 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 12/10 के मुरब्बा नम्बर 35, 36 की कुल 10.730 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 8 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के 1/2 हिस्सा यानि 5.365 हैक्टर कृषि भूमि में से वादी सूक्ष्म बिश्नोई पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 8 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर को 3.341 हैक्टर कृषि भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती रामकला पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 8 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर को 2.024 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 19.07.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अधिकारी (राजस्व)

(..........)
.... अधिकारी (राजस्व)